रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277523
CG-DL-E-30102026-277523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5641] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5641] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5873(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2263(अ), दिनांकित 12.06.2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 43 (पुराना रारा-78) [किमी. 10.200 से किमी. 82.209 (रायपुर-कोडेबोड-धमतरी खंड) को छोड़कर] को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-43 (पुराना रारा-78) के अंबिकापुर से पत्थलगांव खंड डिजाइन किलोमीटर 373.505 से किलोमीटर 469.300 (मौजूदा किमी 373.505 से किमी 468.800) तक के खंड के 1.650 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के चार अथवा अधिक लेन के उपयोग हेतु तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर तथा पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 72.530 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 4.500 किमी (0.450 किमी की लंबाई वाले) (तालिका-3) के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के साठ प्रतिशत दर से नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण (जो इसके आगे 'प्राधिकरण' के रूप में उल्लिखित है) को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (में .रु)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस् (एचसीएम)कर या (ईएमई) (धुरीय :चार से छ) (एमएवी) बहु धुरीय वाहन	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाज़ा-:में देय और संदेय होगी (ओं)

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में(, जिसके लिए शुल्क संदेय है [संरचनाओं)>60मी(. की लंबाई को छोड़कर[	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में राधापुर के निकट रारा-43 के किमी चैनेज/443.470 पर	72.530	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	1.650	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं(पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी-:

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई किमी) (में**	**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में राधापुर के निकट रारा-43 के किमी चैनेज/443.470 पर	0.450	4.50	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^ ब्यौरा निम्नानुसार है:

	चैनेज		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में(**
	किमी से	**किमी तक**		

1	389.815	390.085	बड़ा पुल	0.270
2	431.270	431.354	बड़ा पुल	0.0840
3	444.380	444.476	बड़ा पुल	0.0960
कुल				**0.450**

3. गैरवाणिज्-यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर **वर्ष 2026-27 के लिए 360.00 रुतीन सौ साठ रुपए) . (मात्र** है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्-:

तालिका-4

भुगतान-योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एक तरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतानयोग्-य फीस की राशि का दोतिहाई-	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों राष्)ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की (50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथाउल्-लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एकएक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।-

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 551.447 करोड़ रुहै। . प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू-एनएच/सीजी/आरओ/एनएच/43/अंबिकापुरपत्थलगांव-/यूजर फी नोटिफिकेशन-ई/269932]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5873(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2263(E) dated 12.06.2024 issued under section 5 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the new National Highway No.43 (old NH-78) [Excluding from Km. 10.200 to Km. 82.209 (Raipur-Kodebod-Dhamtari Section], as situated within the State of Chhattisgarh, to the State Government of Chattisgarh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rule. 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 1.650 km [Table-2] for use of four or more lane section and at sixty percent of the base rate for net road section length of 72.530 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.500 km (having length of 0.450 Km [Table-3]) for use of 2 lane with paved shoulders on the type of vehicle specified in column (1) of the Table-1 below, of Ambikapur to Pathalgaon section from design kilometer 373.505 to kilometer 469.300 (existing km 373.505 to km 468.800) of National Highway number 43 (Old NH-78) in the State of Chhattisgarh and authorises the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable [Excluding length of structures (>60m)]	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 443.470 of NH-43 near Radhapur in Surguja district of State Chhattisgarh	72.530	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	1.650	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to beconverted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km/Ch. 443.470 of NH-43 near Radhapur in Surguja district of State Chhattisgarh	0.450	4.50	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

	Chainage		**Type of Structure**	**Length (in km)**
	From Km	**To Km**		
1	389.815	390.085	Major Bridge	0.270
2	431.270	431.354	Major Bridge	0.0840
3	444.380	444.476	Major Bridge	0.0960
Total				**0.450**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.**360 (Rupees Three Hundred Sixty Only) for the year 2026-27** and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in of rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 551.447 crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. RW/NH/RO/CG/NH-43/Ambikapur-Pathalgaon/UserfeeNotification/E-269932]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.10.30 17:22:42 +05'30'